संख्या-156/2020/3282/26-3-2020

प्रेषक,

बी0एल0 मीणा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति विकास,
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 07 दिसम्बर 2020

विषय: **वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र-2020-21 में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत् थारू एवं अन्य जनजाति के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने हेतु समय-सारिणी निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-168/ज0जा0वि0/पू0दश0छात्रवृत्ति/2021-21, दिनांक-23.11.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र-2020-21 में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत् थारू एवं अन्य जनजाति के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने हेतु विस्तृत कार्ययोजना निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- निदेशक, जनजाति विकास द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र-2020-21 में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत् थारू एवं अन्य जनजाति के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने हेतु निम्नानुसार कार्ययोजना निर्गत की जाती है:-

क0सं0	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	निर्धारित समयावधि कक्षा 1 से 8 तक
1	प्रदेश में स्थित मान्यता प्राप्त विद्यालयों का मास्टर डाटा बेसिक शिक्षा अधिकारी/जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा आनलाइन तैयार किया जाना व मास्टर डाटा में सम्पूर्ण सूचना भरकर/अपलोड कर डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना	05 दिसम्बर, 2020 से 15 दिसम्बर, 2020 तक
2	सम्बन्धित बेसिक शिक्षा अधिकारी/जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा विद्यालयों में स्वीकृत सीटों की संख्या को शत् प्रतिशत आनलाइन सत्यापित करना।	16 दिसम्बर, 2020 से 19 दिसम्बर, 2020 तक
3	थारू एवं अन्य जनजाति श्रेणी के पूर्वदशम छात्रवृतित कक्षा 1 से 8 तक (कक्षा 1–5 एवं कक्षा 6–8) में छात्र/छात्राओं के अभिभावकों द्वारा आनलाइन आवेदन किया जाना	20 दिसम्बर 2020 से 10 जनवरी 2021
4	छात्र/छात्राओं के अभिभावकों द्वारा आनलाइन आवेदन किये गये त्रुटियों (आय, जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक तथा आवेदन का क्रमांक) को राजकीय सूचना केन्द्र लखनऊ द्वारा छात्रवृत्ति के पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाना	11, जनवरी 2021 से 15 जनवरी 2021 तक
5	आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नों सहित विद्यालय में जमा किया जाना	16 जनवरी 2021 से 21 जनवरी 2021 तक
6	छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं संलग्नक अभिलेखों से छात्र/छात्रा के समस्त विवरण का विद्यालय द्वारा मूल अभिलेखों से मिलान के उपरांत आनलाइन आवेदन प्राप्त करना, सत्यापित एवं अग्रसारित करना	22 जनवरी 2021 से 25 जनवरी 2021 तक
7	सम्बन्धित बेसिक शिक्षा अधिकारी/जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा विद्यालय की मान्यता वास्तविक छात्र संख्या आदि की प्रमाणिकता को आनलाइन सत्यापित करना	26 जनवरी, 2021 से 30 जनवरी 2021 तक
8	PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरांत डाटा वापस प्राप्त किया जाना एवं एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण किया जाना	31 जनवरी, 2021 से 04 फरवरी 2021 तक
9	सन्देहास्पद डाटा को कारणों सहित छात्र, विद्यालय के लॉगिन पर प्रदर्शित किया जाना एवं आनलाइन आवेदन में की गयी त्रुटियों को छात्र द्वारा ठीक किया जाना	05 फरवरी, 2021 से 10 फरवरी, 2021 तक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

10	छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की त्रुटियों को ठीक करके हार्डकापी समस्त वांछित संलग्नों सहित शिक्षा संस्था में जमा किया जाना	11 फरवरी 2021 से 15 फरवरी 2021
11	त्रुटियों को ठीक करके छात्र द्वारा जमा किये गये आवेदन पत्रों का विद्यालय द्वारा संलग्न अभिलेखों से मिलान करके आनलाइन सत्यापित तथा अग्रसारित करना	16, फरवरी 2021 से 18 फरवरी 2021 तक
12	छात्र द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा को एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में विभिन्न बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण किया जाना	19 फरवरी, 2021 से 21 फरवरी 2021 तक
13	जनपदीय छात्रवृत्ति समिति द्वारा सन्देहास्पद तथा शुद्ध डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना व पात्र छात्रों की छात्रवृत्ति स्वीकृत करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लाक किया जाना	22 फरवरी 2021 से 25 फरवरी 2021 तक
14	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लाक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से मांग सृजित कराना	26 फरवरी 2021 से 28 फरवरी 2021 तक
15	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लाक डाटा के आधार पर कोषागार के ई–पेमेन्ट के तहत PFMS प्रणाली के माध्यम से छात्र/छात्राओं को बचत बैंक खातों में सीधे धनराशि अन्तरित किया जाना	07 मार्च, 2021 तक

3- अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त समय-सारिणी का अपने स्तर से प्रचार-प्रसार कराते हुये सुसंगत छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लखित प्राविधानों के अनुसार शैक्षिक सत्र 2020-21 में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत् थारू एवं अन्य जनजाति के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने सम्बन्धी योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

बी0एल0 मीणा
प्रमुख सचिव।

पृ0सं0-156/2020/3282 (1)/26-3-2020 तद्दिनांकः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्य मंत्री, समाज कल्याण, जनजाति विकास विभाग, उ0प्र0।
2- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत् थारू एवं अन्य जनजाति के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में स्कालरशिप पोर्टल पर यथावश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
7- समस्त सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, जनजाति विकास।
8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से

अशोक कुमार
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।